

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला  
(विधि शाखा)

(19)

आदेश

अधिग्रहण वाद सं० :- 27/2008-09

शिव प्रसाद सिंह -बनाम- सरकार

अपीलार्थी श्री शिव प्रसाद सिंह पिता-श्री नाथ सिंह ग्राम-लोटवा थाना-बसिया जिला-गुमला ने धारा-30 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के तहत अपने जमीन से संबंधित आवेदन दे कर अपने जमीन खाता सं०-112/3 प्लॉट सं०-1019, 1391 एवं 177 रकबा-1.50 एकड़, 0.83 एकड़ एवं 3.60 एकड़ कुल रकबा-4.90 एकड़ भूमि का मुआवजा की माँग की गई है।

आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी इस वाद को आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं।

अतः अधिग्रहण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया एवं अंचल अधिकारी बसिया को उपलब्ध करायी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

16.06.22

उपायुक्त,  
गुमला

16.06.22  
उपायुक्त,  
गुमला